# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 665/2022

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| 1. गेनाराम पुत्र लालाराम जाट<br>निवासी– नान्दिया जाजडा,<br>तहसील बावड़ी जिला<br>जोधपुर। | | 1. अणची पत्नी गंगाराम<br>2. आसूराम पुत्र मोहनराम<br>3. खीयाराम पुत्र मोहनराम<br>4. मगाराम पुत्र मोहनराम<br>5. गंगाराम पुत्र मानाराम<br>6. डालूराम पुत्र मानाराम के<br>का0मु0:–<br>1. गणेशराम पुत्र डालूराम<br>2. धर्माराम पुत्र डालूराम<br>3. चम्पाराम पुत्र डालूराम<br>7. नानकराम पुत्र जोराराम<br>8. पुरखाराम पुत्र जोराराम<br>9. राजूराम पुत्र जोराराम<br>10.सायरी पत्नी जोराराम<br>11.प्रेमाराम पुत्र मानाराम के<br>का0मु0:–<br>1. मूली पत्नी प्रेमाराम<br>2. रामनिवास पुत्र प्रेमाराम<br>3. मुकेश पुत्र प्रेमाराम<br>4. ममता पुत्री प्रेमाराम<br>मुकेश व ममता नाबालिग<br>जरिये कुदरती वली माता<br>मूली पत्नी प्रेमाराम<br>सभी जातियान–जाट<br>निवासी–नांदिया जाजडा,<br>तहसील बावड़ी जिला<br>जोधपुर।<br>12. तहसीलदार, बावडी। |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 21.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2021 अनवान गेनाराम बनाम अणची वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री शेखर मेवाडा, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2. श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 11 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 1-4-26. मार्च, 2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2021 अनवान गेनाराम बनाम अणची वगैराह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध यह राजस्व अपील दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम नान्दिया जाजडा, तहसील बावडी में अपीलान्ट गेनाराम की ख0सं0 155/2 रकबा 0.6472 हैक्टर भूमि स्थित है। अपीलान्ट की उक्त भूमि के पडौस में चिपते ही अप्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 159 स्थित है जिनकी माठो को लेकर आपस में बोलचाल होती रहती है। ऐसे में अपीलान्ट/प्रार्थी अपनी पैमाइश के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है, बिना पत्थरगढी के प्रार्थी के कारण आवारा पशु फसल को बर्बाद कर देते हे ओर पड़ोसी खातेदार से भी सीमा को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिये भी पत्थरगढी करवाना आवश्यक है। प्रार्थी उपरोक्त खसरे की जमाबन्दी में दर्ज रकबे और मौका स्थिति के अनुसार व प्रस्तुत पेमाइश के अनुसार मुटाम लगवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ख0सं0 155/2 की भूमि की पत्थरगढी का आदेश प्रदान करावें।

3. अपीलान्ट के उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये तत्पश्चात पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाये जाने को अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा अस्वीकार कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र विपक्षीगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को आधार मानते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट था कि

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी करवाये जाने वाले स्थान पर अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अपने खसरे के पडौस में स्थित सरकारी खसरा भूमि के चलते भूमिधारक तहसीलदार को पक्षकार बनाये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पड़ौसियों को पक्षकार नहीं जाने का कथन करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं पडौसी खातेदारान के मध्य सीमा विवाद होने के कारण ही उन्हें पक्षकार बनाया और उनको नोटिस भिजवाये गये। किन्तु अपीलार्थी के इस तथ्य को दरकिनार करते हुए उनहें पक्षकार क्यूं बनाया गया है जैसी गलत धारणा बनाते हुए तथा अपीलार्थी की भूमि में रेस्पोडेन्टस द्वारा झूठा अवैध कब्जा बताने के तथ्य को मानकर इस बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया और प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है जो गलत होने से निरस्त करने योग्य है। साथ ही उक्त अपीलाधीन आदेश न्याय किये जाने की दृष्टि से पारित नहीं कर मात्र प्रकरण को निर्णित/खारिज करने की दृष्टि रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि सीमांकन रिपोर्ट में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है, जबकि उक्त सीमांकान रिपोर्ट में स्वयं अपीलान्ट, अन्य पडौसी खातेदारान, पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मौके पर उपस्थित रहकर किये गये है तथा पटवारी हल्का के द्वारा उक्त सीमांकन रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट के ख0सं0 155/2 की भूमि पर कब्जा नहीं है या अन्यत्र कब्जा है और पटवारी हल्का के द्वारा ऑनलाईन नक्शे में दर्ज अंकन के आधार पर पत्थरगढी बाबत वर्णित भूमि का सीमांकन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र यह कहा जाना कि अप्रार्थीगण को पक्षकार क्यूं बनाया है तो इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के द्वारा अपीलान्ट की भूमि तक आई हुई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हुए कब्जा कर रखा है जिस कारण से अपीलान्ट को अपनी खेत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट ने राज्य सरकार/भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार संयोजित किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

गया था तो ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से भी जवाब/रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी तो उन्हें भी सुना जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में केवल मात्र अप्रार्थीगणों के जवाब को ही सरसरी तौर पर विवेचन कर अपीलान्ट के पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अगर अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अप्रार्थीगण को पक्षकार अनावश्यक बनाया गया है तो उनके द्वारा की गई बहस को पत्रावली पर लिया ही नहीं जाना चाहिये था और न ही उनकी ओर से लिखित बहस कथन/दस्तावेज इतयादि को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिये था। अप्रार्थीगण के द्वारा यह दर्शा दिया जाना कि ख0सं0 155/2 की वर्तमान ऑनलाईन गलत नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त मौके पर नहीं है, इसलिये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की भी कोई जॉच तहसीलदार से नहीं करवाई गई और न ही राजस्व रिकार्ड को तलब किया गया। मात्र अप्रार्थीगण के जवाब अनुसार, फोटोग्राफ्स, ऑनलाईन नक्शे के अनुसार प्रार्थी के खेत व रोड के मध्य पत्थर आदि डालकर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बता दिया। इस तथ्य की भी कोई जॉच नहीं करवाई गई है। वर्तमान समय में जो सड़क चल रही है, वह पूर्व में निर्धारित स्थान से थोड़ी–थोड़ी खिसकते हुए अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के समीप से निकलती चली गई है जो गुगल फोटोग्राफस् से स्पष्ट प्रतीत होती है, ऐसे में भी अपीलान्ट की भूमि के निकट सड़क रहने से भी उसे पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से पत्थरगढी किये जाने के प्रस्तुत किये गये आवेदन को निरस्त किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 को निरस्त किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों की प्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश की गई जिनका अवलोकन किया गया।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 01 ता 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया था कि ग्राम नान्दिया जाजडा, तहसील बावडी में अपीलान्ट की ख0सं0

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

155/2 रकबा 0.6472 हैक्टर भूमि स्थित है और पडौस में चिपते ही अप्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 159 स्थित है जिनकी माठो को लेकर आपस में बोलचाल होती रहती है। ऐसे में अपीलान्ट पैमाइश के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्टस की ओर से अन्तर्गत आदेश 39 नियत 07 सपठित धारा 151 सीपीसी मौके की भौतिक व वास्तविक स्थिति मंगवाये जाने का पेश किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तत्पश्चात उनकी ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थी जिस भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है, उस पर उसका भौतिक कब्जा नहीं होना बताया तथा चाहा गया अनुतोष कब्जे के अभाव में नहीं दिलाया जा सकता है। साथ ही अप्रार्थी के कब्जे वाली भूमि पर प्रार्थी भौतिक रूप से कब्जा काश्त है ही नहीं, जबकि प्रार्थी द्वारा बताये गये भू भाग पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। पैमाइश रिपोर्ट व ऑनलाईन नक्शे के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में नहीं है। जो अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा के तहत आता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने खेत के चारो तरफ के पडौसी खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है और बिना चारों तरफ माप व सीमांकन के मात्र एक पक्षकार के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का खेत ख0सं0 155/2 का जितना रकबा दर्ज है उससे तीन गुणा रकबा पर उसका गैर कानूनी कब्जा है जो अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ पत्थर की पटटीया रोपकर कांटो के तार व तारबन्दी की हुई है तथा मेड के सहारे–सहारे पुराने वृक्ष खडे है जिससे स्पष्टतः प्रार्थी का कब्जा साबित होता है। प्रार्थी उक्त रकबे अतिरिक्त कब्जे के अभाव में एक निश्चित भू भाग का उक्त पत्थरगढी की आड में मुख्य डामर सड़क पर भौतिक कब्जा करना चाहता है जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पटवारी हल्का की पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का मौके पर कब्जा आज दिन भी नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस् की ओर से विस्तृत जवाब पेश करते हुए अपीलान्ट के पत्थरगढी के आवेदन को अस्वीकार करने का निवेदन किया था, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन को खारिज किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

8. रेस्पो0 संख्या 01 ता 11 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का पेश कर ख0सं0 155/2 की मौके पर तरमीम अनुसार कब्जा है या नहीं, इस बाबत तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की स्थिति व मौके के कलर फोटोग्राफस् तैयार कर उक्त स्थल की भौतिक व वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाने का निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया वरना वादग्रस्त भूमि की सही–सही स्थिति सामने आ जाती। जिसमें अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी दर्ज रकबा भूमि के अतिरिक्त सरकारी एवं सड़क की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत आता है क्योंकि कब्जे से बेदखली की कार्यवाही करने पर ही भौतिक कब्जे के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सकती है जबकि अपीलान्ट अपनी खातेदारी की भूमि से अन्यत्र काबिज हो रखा है। ऐसे में कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य ही था।

9. रेस्पो0 संख्या 01 ता 11 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के पडौसी निजी भूमि एवं सरकारी भूमि के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया और हम रेस्पोडेन्टस को पक्षकार बनाकर प्रकरण पेश किया था जबकि उनका वादग्रस्त खसरा भूमि बाबत प्रस्तुत प्रकरण में कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की ओर से अपना प्रत्युतर इत्यादि पेश कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया था। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया था कि प्रार्थी के खसरा संख्या 155/2 रकबा 0.6472 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पत्थर की पटटीयां रोपकर कांटो के तार व तारबन्दी की हुई है तथा किनारे–किनारे वृक्ष खड़े हुए है। पूर्व में प्रार्थी ने पटवारी एवं भू0अ0निरीक्षक से मिलीभगत कर अपनी भूमि की वास्तविक कब्जे काश्त से हटकर तरमीम करवाई गई है जो गलत है। प्रार्थी वर्तमान में 04.00 बीघा के स्थान पर 15 बीघा पर कब्ज काश्त कर रहा है तथा अपने मकानात इत्यादि सरकारी भूमि पर बनाये है। प्रार्थी ने जिस नक्शे के अनुसार भूमि की तरमीम के लिये आवेदन पेश किया है उस पर अप्रार्थीगणों का पुश्तैनी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाड़ा आया हुआ है। प्रार्थी का वर्तमान ऑनलाईन गलत नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त मौके पर नहीं है। प्रार्थी सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर रोड से दूर स्थिति अपनी कृषि भूमि को गलत रूप से ऑनलाईन तरमीम करवाकर अपनी भूमि को भौतिक रूप से वास्तविक तथ्य छुपाते हुए व फायदा लेने की नियत से मुख्य डामर सड़क पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसके अतिरिक्त सीमांकन भी पड़ौसी खातेदारों के समक्ष नहीं करवाया गया है।

10. रेस्पो0 संख्या 01 ता 11 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की इसी खसरे की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पडौसी खातेदारान के धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किये प्रार्थना पत्र को जिसमें ख0सं0 155/2 की ऑनलाईन गलत हुई तरमीम को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुए भौतिक कब्जा व वास्तविक मौका स्थिति के अनुसार दुरूस्ती करने का आदेश दिनांक 19.7.2024 को दिया गया है जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलान्ट अपनी भूमि से अधिक हिस्सा भूमि तथा आवंटित हुई भूमि वाले स्थान से हटकर अन्यत्र स्थान पर कब्जा अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हो सकता था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी के आवेदन को निरस्त किया हुआ है, वो विधि के अनूकूल होने से यथावत रखा जावें और अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावें। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं.3 के साथ दस्तावेजों की प्रतियॉ अवलोकनार्थ पेश की गई जिनका अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त ★ जोधपुर ★

11. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 जो कि अपीलान्ट की खातेदारी के खेत ख0सं0 155/2 की पत्थरगढी करवाये हेतु पेश किये गये प्रार्थनापत्र को अस्वीकार किया है, के सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अपीलाधीन आदेश का मूल आधार बनाया तथा अपीलार्थी की भूमि में रेस्पोडन्टस के द्वारा झूठा अवैध कब्जा बताने के तथ्य को मान लिया और पटवारी हल्का की सीमाकंन रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय ने अप्रार्थीगण जो ख0सं0 159 के खातेदारान है, को पक्षकार बनाये जाने को गलत माना और वास्तविक पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि अपीलान्ट के द्वारा पडौसी सरकारी भूमि के खातेदार यानि तहसीलदार को पक्षकार संस्थित किया हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण की मेरिट पर ध्यान नहीं देकर मात्र अप्रार्थीगण के जवाब को ही आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया गया जो निरस्त करते हुए धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

12. प्रकरण का अवलोकन किया गया। ख0सं0 155/2 रकबा 0.6472 हैक्टर की पत्थरगढी के प्रकरण प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया है जिसमें अप्रार्थीगणो/रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपने को गलत पक्षकार संस्थित किये जाने, वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदार नहीं होने, वादग्रस्त खसरे की भूमि की ऑनलाईन तरमीम गलत होने एवं भौतिक कब्जे काश्त अनुसार भूमि मौके पर नहीं होने, व अप्रार्थीगणों का पुश्तैनी बाड़ा आया हुआ होने एवं कब्जे से बेदखली कार्यवाही कर भौतिक कब्जा दिलाकर पत्थरगढी किये जाने तथा कब्जे के अभाव में उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज करना उल्लेखित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निष्कर्श में रेस्पोडेन्टस के जवाब को ही प्राथमिकता दी है। साथ ही पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने का उल्लेख किया है और संस्थित अप्रार्थीगण खातेदारान का ऑनलाईन नक्शे के अनुसार, पैमाइश रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स के आधर पर अप्रार्थीगण का प्रार्थी के खेत व रोड के मध्य पत्थर आदि डालकर अप्रार्थीगण का कब्जा माना।

13. अधीनस्थ न्यायालय के चाहिये था कि धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये पत्थरगढी के प्रकरण के संलग्न वादग्रस्त भूमि की सीमाकंन रिपोर्ट का अवलोकन करते। तहसीलदार भूमिधारी से उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब तलब करते, राजस्व रिकार्ड एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का परीक्षण करते, प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त खसरान भूमि के पडौसी खातेदारों को पक्षकार संस्थित करवाये जाने तथा उनके जवाब तलब करते, जैसा कि पडौस की भूमि सरकारी/सड़क की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी माना कि अप्रार्थीगण को अनावश्यक पक्षकार बनाया है तो उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकर्ड पर क्यूं लिया गया और जवाब को ही अपीलाधीन आदेश का आधार क्यूं माना, पडौसी

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने की तकनीकी त्रुटि के आधार पर ही प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुई सीमांकन रिपोर्ट को भी गलत अथवा सही होना, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। ख0सं0 155/2 के खेत व रोड के मध्य यानि मौके पर अप्रार्थीगणों का कब्जा बताये जाने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की मांग की गई है, वह उपयुक्त थी, जिससे अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील को दिनांक .....03.2026 को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जा चुका है तथा पूर्व में तरमीम को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसे में पत्थरगढी के बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तत्समय में अपीलान्ट अपने ख0सं0 155/2 की राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा लटठा में अंकित तरमीम के अनुसार पत्थरगढी करवाये का अधिकारी है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के ख0सं0 155/2 भूमि की पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पडौसी भूमि के खातेदारान को आवश्यक पक्षकार संयोजित करने, तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की मौका फर्द/रिपोर्ट प्रभावित खातेदारान की उपस्थिति में तैयार कर तलब करने एवं सभी पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

14. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.10.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के ख0सं0 155/2 भूमि की पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पडौसी भूमि के खातेदारान को आवश्यक पक्षकार संयोजित करने, तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मौका फर्द/रिपोर्ट प्रभावित खातेदारान की उपस्थिति में तैयार कर तलब करने एवं सभी पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावें। निर्णय आज दिनांक 1-4-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/4/26

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर